

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(राज्य की चौकी, करौली-322241, फोन-1.07404-297003, Email: dcf.kroll.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2023-24/ 8449
निमित्त,

दिनांक:-16/10/2023

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर।

विषय:-Diversion of 0.5265 ha. Of forest land in favour of Public Work Department Karauli for Construction of Road from Kota to Pator Km 0/0 to 3/000

प्रसंग:- आप कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेपों के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा उक्त विषयांकित प्रकरण में लगाए गए आक्षेप की पूर्ति निम्नानुसार कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.No.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	Not Complied. The proposed villages pator and Kanwarpura have not been included in Forest Block Kota A. Justified it.	प्रस्तावित ग्राम पटोर एवं कंवरपुरा को वन खंड कोटा ए में शामिल नहीं किये जाने को उचित इसलिए ठहराया कि उक्त प्रस्ताव में आने वाली भूमि ग्राम पटोर एवं कंवरपुरा के अन्तर्गत ही आती है। उक्त ग्राम वन खंड कोटा ए की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त पूर्व सम्मिलित ग्राम से ही बने है।
2	Not complied. As per recommendation of CCF & notification of forest land, The proposed villages pator and Kanwarpura have not been included in Forest Block Kota A. Justified it	उक्त बिन्दु का प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 1 के जबाब से स्वतः स्पष्ट होता है।

भवदीय

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

दिनांक:- / /2023

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2023-24/

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।

उप वन संरक्षक
करौली